



# राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी  
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

क्र. 3059 / SEIAA/2022

दिनांक: 10/2/22

प्रति,

मेसर्स प्रिज्म जॉनसन लि.

305, लक्ष्मी निवास अपार्टमेन्ट, आमेरपेट,


हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश)-500016

**विषय:** प्रकरण क्र. 646/2011 : परियोजना प्रस्तावक मेसर्स प्रिज्म सीमेन्ट लि., 305, लक्ष्मी निवास अपार्टमेन्ट, आमेरपेट, हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश)-500016 द्वारा बंदरखा चूना पत्थर खदान, एरिया 40.236 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 0.24 मिलियन टन प्रतिवर्ष, ग्राम -बंदरखा, तहसील - रामपुर बघेलान, जिला -सतना (म.प्र.) ।

**संदर्भ:** कार्यालय पत्र क्र. 2828 दिनांक 13.01.2022 ।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें कि उक्त प्रकरण को म.प्र. राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 695वीं बैठक दिनांक 09.12.2021 में लिये गये निर्णयानुसार पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल से अभिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे, जो कि आज दिनांक तक अप्राप्त है।

अतः आपको पुनः सूचित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी अभिप्रमाणित कराकर 07 दिवस में SEIAA कार्यालय को प्रस्तुत करें। तदानुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही हेतु SEIAA समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकें।

  
(आलोक नायक)  
प्रभारी अधिकारी